फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

नोरतनमल बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट   न.मु.– 12/2023   GCMS No. – 2023/16

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.23	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री नोरतनमल पुत्र सुवाराम जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला नया बास, कस्बा सुजानगढ़ सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही बड़ाबर जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 201 में नवरत्न पुत्र सुवाराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार नोरतनमल पुत्र सुवाराम है। प्रार्थी की नोरतनमल पुत्र सुवाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने अपने पत्रांक 695 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही बड़ाबर की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 201 में नवरत्न पुत्र सुवाराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम नोरतनमल पुत्र सुवाराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पार्षद वार्ड संख्या 28 नगर परिषद सुजानगढ़ के प्रमाण पत्र, दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही बड़ाबर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 201 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बड़ाबर	201 (नया)	नवरत्न पुत्र सुवाराम जाति कुम्हार निवासी सुजानगढ़ खातेदार	नोरतनमल पुत्र सुवाराम जाति कुम्हार निवासी सुजानगढ़ खातेदार

राहिन की प्रविष्टि (अगर है तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

क्रमांक: रीडर/2023/   दिनांक:

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी श्री नोरतनमल पुत्र सुवाराम जाति कुम्हार, नि. कस्बा सुजानगढ़ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)